

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017 दिनांक 31-08-2017 के द्वारा श्रीमती निर्मला कुमारी को वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति से बयनोपरान्त प्रधानाचार्य-उमावि के रूप में पदोन्नत किया जाकर इनका पदस्थापन राउमावि0 खुईयाला-सम जिला जैसलमेर किया गया था। विभाग के उक्त आदेश में पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने की अन्तिम दिनांक 09-09-2017 थी।

चूंकि विभाग द्वारा उक्त दिनांक 09-09-17 के पश्चात् आयोजित काउन्सीलिंग दिनांक 25-09-2017 के माध्यम से उक्त पद, (प्रधानाचार्य राउमावि0 खुईयाला-सम जैसलमेर का पद) भर दिया गया, अतः श्रीमती निर्मला कुमारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर, वरवक्त काउन्सीलिंग इनके द्वारा चयन किये गये जैसलमेर जिले में ही प्रधानाचार्य के स्पष्ट रिक्त पद पर संमायोजित करते हुए इनका पदस्थापन संशोधन किया जाकर इन्हे राउमावि0 अवाय जिला जैसलमेर में पदोन्नति पर पदस्थापित किया जाता है। प्रार्थी की हद तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि करते हुए दिनांक : 30/10/17 तक, नवीन पदस्थापित स्थान राउमावि0 अवाय जिला जैसलमेर में कार्यग्रहण करने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक कार्यग्रहण कर शाला दर्षणा से सम्बधित प्रविष्टियों का इन्द्रांज किया जाना सुनिश्चित करावे। सभी सम्बधित सूचित हो तथा तदनुसार अनुपालना रिपोर्ट से अवगत करावे।


  
(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्र :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी 17-18/2017 दिनांक : 25-10-2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 सम्बधित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
- 02 सम्बधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 03 सम्बधित संस्था प्रधान/पूर्व संस्था प्रधान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 04 सम्बधित कार्मिक श्रीमती निर्मला कुमारी को पालनार्थ।
- 05 गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

-:: संशोधन-आदेश ::-

विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017/चतुर्थ दिनांक 16-10-2017 द्वारा प्रधानाचार्य डीपीसी 17-18 अन्तर्गत पदोन्नति पर काउन्सलिंग उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में कार्यग्रहण दिनांक 26.10.17 (क.सं 13,18,22,23,28,31,33,42,43,44,50,58,61,63, 71, एवं 80 को छोड़कर शेष कार्मिकों हेतु) दी गई है। पदस्थापन संबंधी उक्त आदेश में निम्नानुसार **कॉलम संख्या-04 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन जारी किया जाता है :-**

क्र.सं	विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशांक एवं दिनांक	नाम प्रधानाचार्य-उमावि मय पदस्थापन स्थान	आंशिक संशोधन का विवरण
05	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017/चतुर्थ दिनांक 16-10-2017	श्रीमती भानुमति मीणा प्र.अ.रा. बा. मा.वि पुनाली, डूंगरपुर को पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन राउमावि, रामसोर जूना(पीठ) सिमलवाडा जिला डूंगरपुर	कार्यग्रहण दिनांक 26.10.17 के स्थान पर 01.11.17 मानी जावे।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017/चतुर्थ दि.25-10-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा-कोटा/बारां।
- 3 सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
- 4 सम्बन्धित कार्मिक/प्र0अ0 को पालनार्थ।
- 5 रक्षित/ निजी पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंभानुसार वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/- प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1) की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु की गई अभिशंभाओं में निम्नांकित कार्मिकों के संबंध में चयन का निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया चूंकि निम्नांकित के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण), नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम-1968 के नियम 16/17 एवं 17-ई के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी।

निम्नांकित कार्मिकों के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के निस्तारण द्वारा प्रकरण में कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के कारण इन्हे नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/- में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1) पद पर चयनित किया जाता है। इनकी वरिष्ठता प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष नाम के सामने अंकित वर्ष की मुख्य सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा :-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष	नाम कार्मिक एवं पद	जन्म दिनांक	डीपीसी वर्ष	जिन कार्मिकों के मध्य प्रतिस्थापित किया जाना है		
					नाम	जन्म तिथि	वरिष्ठता क्रमांक
1	2062(5) 1995-96	जगदीश प्रसाद शर्मा सेनि शिक्षा प्रसार अधिकारी	15.08.57	2015-16	प्रमीला सिंह	01.06.65	2065(2)/95-96
					योगेश्वर दयाल शर्मा	16.01.69	2066/95-96
2	773/ 09-10	सोजीराम मीणा सेनि प्रधानाध्यापक	04.02.56	2015-16	गंगाराम मेघवाल	01.02.64	758/09-10
					शंभु सिंह	07.06.57	775/09-10

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प0 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने एवं उक्त पद को निर्धारित योग्यताधारित नहीं करने पर पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2013-14 एवं 15-16/17 दिनांक : 24-10-17  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. प्रभाग बी-1 एवं बी-2 को पदस्थापन हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
9. रक्षित पत्रावली

(सूतन बाला कपिला)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंभानुसार वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/- प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु की गई अभिशंभाओं में निम्नांकित कार्मिकों के संबंध में चयन का निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया चूंकि निम्नांकित के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण), नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम-1958 के नियम 16/17 एवं 17-ई के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी।

निम्नांकित कार्मिकों के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के निस्तारण द्वारा प्रकरण में कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के कारण इन्हे नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6000/- में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) पद पर चयनित किया जाता है। इनकी वरिष्ठता प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष नाम के सामने अंकित वर्ष की मुख्य सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा :-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष	नाम कार्मिक एवं पद	जन्म दिनांक	डीपीसी वर्ष	जिन कार्मिकों के मध्य प्रतिस्थापित किया जाना है		
					नाम	जन्म तिथि	वरिष्ठता क्रमांक
1	1871/ 1990-91	संजयकुमार चौबिसा व्याख्याता	05.07.67	2013-14	रणजीत राम गोदारा	18.09.65	1869/89-94
					हकीमुद्दीन	31.08.67	1872/89-94

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प0 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने एवं उक्त पद को निर्धारित योग्यताधारित नहीं करने पर पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1A/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2013-14 एवं 15-16/17 दिनांक : 24-10-17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. प्रभाग बी-1 एवं बी-2 को पदस्थापन हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
9. रक्षित पत्रावती

(नूतन बाला कपिला)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर